न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/368

1. छोटू आत्मज श्री रोडू जाति गुर्जर निवासी छाबडियों का नयागॉव (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. कन्हैया लाल आयु 35 वर्ष आत्मज श्री छोटू जाति गुर्जर निवासी छाबडियों का नयागॉव ।
   1/2. शंकर आयु 30 वर्ष आत्मज श्री छोटू जाति गुर्जर निवासी छाबडियों का नयागॉव
   1/3. बुद्धि प्रकाश आयु 28 वर्ष आत्मज श्री छोटू जाति गुर्जर निवासी छाबडियों का नयागॉव ।
2. बजरंगा आयु 65 वर्ष आत्मज श्री रोडू जाति गुर्जर निवासी छाबडियों का नयागॉव ।
3. रंगलाल आयु 55 वर्ष आत्मज श्री मूलचन्द जाति गुर्जर निवासी छाबडियों का नयागॉव
4. हनुमान आयु 28 वर्ष आत्मज श्री जगदीश जाति गुर्जर निवासी छाबडियों का नयागॉव
5. पुष्पा आयु 60 वर्ष पत्नी श्री जगदीश जाति गुर्जर निवासी छाबडियों का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. सुन्दर बाई बेवा श्री कल्याण्ध जाति गुर्जर निवासी छाबडियों का नयागॉव ।
2. प्रेमबाई पुत्री श्री कल्याण जाति गुर्जर निवासी छाबडियों का नया गॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश नामधराणी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम छाबडियों का नयागॉव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 47 रकबा 08 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 68 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 70 रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 71 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 72 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा,

खसरा नम्बर 246/690 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 319 रकबा 02 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 321 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 316 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा कुल 01 किता की 28 बीघा 09 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में वादी ने अपना 1/4 हिस्सा बताते हुए हक घोषणा एवं वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.01.2014 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए अपने आदेश दिनांक 05.06.2015 के द्वारा वादी का वाद डिक्री करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी।

4. तत्पश्चात् प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.07.2015 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी बाबत् निरस्त किये जाने एक तरफा कार्यवाही आदेश दिनांक 31.01.2014 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.06.2015 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के वकील द्वारा प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही का आदेश हो जाने की सूचना उन्हें नहीं दी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री की सूचना पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.07.2015 को भूमियों का विभाजन किये जाने हेतु मौके पर आने पर हुई । अतः प्रार्थीगण के खिलाफ पारित एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिनांक 31.01.2014 व प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.06.2015 निरस्त फरमाया जावे तथा प्रार्थी (प्रतिवादीगण) को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ने अपने निर्णय दिनांक 22.03.2017 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.03.2017 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने वकील साहब श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा को नियुक्त किया हुआ था । अपीलान्ट के वकील साहब को अपीलान्ट के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को देनी चाहिए थी परन्तु उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए डिक्री जारी कर दी जो नैसर्गिक न्याय व सुनवाई के अधिकार का हनन होने के कारण उक्त अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.03.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने एक दावा अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था अपीलान्ट ने इसमें अपनी पैरवी करने हेतु अभिभाषक नियुक्त किया था और अभिभाषक के उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 31.01.2014 को अपीलान्ट प्रतिवादीगण के खिलाफ एकतरफा

कार्यवाही की गई । इसके उपरान्त लोक अदालत में दावा वादीगण डिक्री किया गया है । अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 09 नियम 13 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें प्रारम्भिक डिक्री को निरस्त करने की प्रार्थना की । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी को खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपीलान्टगण को उनके अभिभाषक ने आश्वासन दिया था कि जब भी आवश्यकता वो उन्हें सूचित कर देगें परन्तु वो अचानक दिनांक 31.01.2014 को उपस्थित नहीं हुए और न ही अपीलान्टगण को कोई सूचना दी । अपीलान्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिला जो न्यायहित में आवश्यक है । वादीगण ने कल्याण की मृत्यु से उत्तराधिकार के आधार पर हक, घोषणा की प्रार्थना की है वादिनी प्रेमबाई, कल्याण की पत्नी नहीं है । कल्याण लाऔलाद फौत हुआ है, तकनीकी आधार पर अपीलान्टगण को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.03.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2010 आरआरडी पेज 505, 2016 (4) डीएनजे (राज0) पेज 1757, 2011 आरआरडी पेज 766, 2018 (2) डीएनजे पेज 619, 1998 आरआरडी पेज 319, 1998 डीएनजे (एससी) पेज 363, 2018 (2) डीएनजे (एससी) पेज 456, आरएलडब्ल्यू 2010 (4) पेज 2926, एआईआर 1998 (मद्रास) पेज 237 उद्धरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से वकालतनामा पेश करने के उपरान्त जवाबदावा पेश नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें जवाब पेश करने के लिए कई अवसर दिये गये । उनके अभिभाषक एवं न स्वयं अपीलान्ट के उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 31.01.2014 को उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई है । वादीगण महिलाएं हैं और स्वर्गीय कल्याण की विधिक वारिस हैं । अपीलान्टगण को सम्मन की विधिवत तामील हुई थी और उन्होंने अपनी ओर से अभिभाषक को नियुक्त भी किया था । उनके द्वारा अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक का कोई शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत साक्ष्य के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का विलम्ब से पेश किया गया था और विलम्ब के कोई समुचित कारण भी नहीं बताए हैं । अधीनस्थ न्यायालय विधि सम्मत रूप से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2013 (4) (राज0) पेज 1736, 2014 (3) डीएनजे (राज0) पेज 1277 उद्धरत की ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.01.2014 को अपीलान्टगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करने के लिए उपरान्त दिनांक 05.06.2015 को वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई थी । अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सीपीसी का प्रस्तुत कर उक्त प्राथमिक डिक्री को सेट–असाइड करने के लिए दिनांक 23.07.2015 को पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय से खारिज कर दिया ।

11. प्रस्तुत अपील में अपीलान्टगण का यह कथन है कि उनके अभिभाषक ने समय पर उन्हें जानकारी नहीं दी इस कारण वो अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रख पाये । प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान के अधिकार एवं स्वत्व तय होने हैं ।

ऐसी स्थिति में हम न्यायहित में 1000/– रूपये हर्जे पर अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं । आरएलडब्ल्यू 2010 (4) पेज 2926 यहॉ चस्पा होता है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.03.2017 एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 05.06.2015 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण अपीलान्ट से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए पत्रावली प्राप्ति के दिनांक से लेकर 06 माह के अन्दर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों । हर्जे का भुगतान अधीनस्थ न्यायालय में किया जावे ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा